



कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 503 / 12-1 (1)

दिनांक, देहरादून, अगस्त 14 2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर वन कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषय:-

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 233 / 2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौड़ा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग के नव निर्माण हेतु अपेक्षित 3.01 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

सन्दर्भ:-

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी का पत्रांक 245 / 12-1 दिनांक 23-7-2015 FP/UK/ROAD/ 13205 / 2015

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी ने अपने पत्रांक 245 / 12-1 दिनांक 23-07-2015 के द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 233 / 2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौड़ा से चमेली चौक तक मार्ग के नव निर्माण हेतु अपेक्षित 3.01 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत ऑन लाईन प्रेषित किया है । प्रस्ताव में वांछित वन भूमि की विधिक स्थिति निम्न प्रकार है ।

प्रभाग / रेंज का नाम	वांछित भूमि की विधिक स्थिति	लम्बाई चौड़ाई मीटर	X	क्षेत्रफल हेक्टर	कुल बाधित वृक्षों की संख्या	बाधित बांज के वृक्ष जो कालम 5 में सम्मिलित हैं, की संख्या
1	2	3	4	5	6	6
मसूरी प्रभाग, रायपुर रेंज	आरक्षित वन भूमि द्वारा कं0 संख्या -4	4300 X 7	3.01	616	616	बांज वृक्ष नहीं हैं
	योग वन भूमि		3.01	616	616	रिक्त
मसूरी वन प्रभाग, रायपुर रेंज	नाप भूमि- ग्राम द्वारा	1300 X 7	0.91	-रिक्त-	-रिक्त-	बांज वृक्ष नहीं हैं
	योग	5600 मीटर		616	616	रिक्त

प्रस्तावित मार्ग के समरेखण में कुल 616 वृक्ष वन भूमि में बाधित हैं । प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी के द्वारा स्थल का निरीक्षण दिनांक 16-07-2015 को किया गया है । प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी के द्वारा प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु अन्य कोई विकल्प न होने के कारण वांछित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य के लिए संस्तुति की गई है । जिलाधिकारी, देहरादून के स्तर से भी वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तथाकथित वांछित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रत्यावर्तन कार्य के लिए संस्तुति की गई है । प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी की संस्तुति के पश्चात इस स्तर से निर्धारित संलग्न प्रपत्र- III में संस्तुति सहित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है ।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को उनके पत्रांक 245 / 12-1 दिनांक 23-07-2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(आर0के0मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

भाग-III

(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम-मा10 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 233 / 2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौड़ा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग के नव निर्माण हेतु अपेक्षित 3.01 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी, नहीं ।
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
क्रमांक 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	संस्तुति की जाती है ।

दिनांक - 14 अगस्त, 2015
स्थान - देहरादून ।

हस्ताक्षर

नाम - (आर0के0मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत, उत्तराखण्ड, देहरादून ।